कार्यालय– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक–565 / 12-1 :देहरादूनः दिनांकः 2/9 ~~अगस्त~~, 2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमांऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :– जनपद–चम्पावत के अन्तर्गत चतुरकोट–कफल्टा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.455 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। ऑनलाईन प्रस्ताव सं0:– FP/UK/ROAD/45918/2020

संदर्भ :– आपका पत्रांक 358/12–1 दिनांक 01.08.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगतनीय है कि इस कार्यालय के ई0डी0एस0 पत्र दिनांक 28.03.2024 के अनुपालन में आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। उक्त सूचना का इस कार्यालय द्वारा परीक्षणोंपरान्त निम्नलिखित कमियां इंगित हो रही है :–

1. आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित पत्र में संलग्नकों को ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड़ किये जाने उल्लेख किया गया है, जबकि उक्त के परीक्षणोंपरान्त ऑनलाईन पार्ट–। एवं पार्ट–।। में संलग्न अपलोड़ नहीं किये गये हैं।
2. प्रस्ताव का ऑनलाईन परीक्षणोंपरान्त यह भी दृष्टिगत हुआ है कि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले पार्ट–।। में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की के0एम0एल0 फाईल के स्थान पर प्रस्तावित समरेखण की के0एम0एल0 फाईल अपलोड़ करते हुये क्षेत्रफल भी त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है एवं साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित कोई भी सूचना ऑनलाईन पार्ट–।। में अपलोड़ नहीं की गयी है।
3. प्रस्ताव के परीक्षणोंपरान्त यह भी दृष्टिगत हुआ है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा विषय सूची एवं पृष्ठों में पृष्ठ संख्या अंकित नहीं किये गये हैं।

अतः उपरोक्तानुसार कमियों का निराकरण कर शीघ्रातिशीघ्र सूचना/संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या–565 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।
2. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, चम्पावत को इस आशय से प्रेषित है कि प्रस्ताव इस कार्यालय से वापस प्राप्त कर कमियों का पूर्ण निराकरण कर सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक के माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।